



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1732-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2018

दिनांक: 19 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये, बाह्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ एम०ओ०यू०/अनुबन्ध निष्पादित कर लिये जाते हैं। इस प्रकार निष्पादित किये गये एम०ओ०यू०/अनुबन्धों का विधिक दृष्टिकोण से समुचित परीक्षण न होने पाने के कारण, विभिन्न प्रकार की विधिक अड़चने एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और विभाग का पक्ष भी कमजोर हो जाता है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में, एतद्वारा यह आदेशित किया जाता है कि सामान्य रूप से निष्पादित किये जा रहे क्रयादेशों/कार्यादेशों के अतिरिक्त, ऐसे समस्त प्रकरणों में जिनमें किन्हीं बाह्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ एम०ओ०यू०/अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित हो, तत्सम्बन्धी कार्यवाही कारपोरेशन स्तर पर विधीक्षित होने के उपरान्त ही सम्पादित की जायेगी।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1732(1)-पारे०अनु०-16/पाट्राकालि-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (आपरेशन)/(का०प्रब० एवं प्रशा०)/(कार्य एवं परियोजना)/(वित्त)/(एस०एल०डी०सी०)/(वाणिज्य एवं नियोजन) उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, (पारेषण), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. वेबसाइट।


(ए०के० श्रीवास्तव)
उपसचिव (पारेषण)